

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली मुख्यालय- बैढन (म.प्र.)

—:: विविध आदेश ::—

क्र./२०/सीजेएम/2023

सिंगरौली, दिनांक : 29.09.2023

मैं के.पी. सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली मुख्यालय बैढन (म.प्र.) कार्य सुविधा की दृष्टि से सार्वजनिक अवकाश में 03.00 पी.एम. बजे से 05.00 पी.एम. बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादन हेतु व्यवस्था करता हूँ, तथा यदि रिमाण्ड के दौरान कोई जमानत आवेदन पत्र या सुपुर्दनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है तो उक्त दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाएगा।

सिंगरौली मुख्यालय बैढन -

क्र 0	न्यायिक अधिकारी	माह अक्टूबर 2023	माह नवंबर 2023
		रिमाण्ड दिनांक	रिमाण्ड दिनांक
1.	श्री नीरज पवैया, जे.एम.एफ.सी. बैढन	21.10.2023, 22.10.2023, 23.10.2023 24.10.2023	05.11.2023
2.	श्री अभिषेक कुमार, जे.एम.एफ.सी. बैढन	08.10.2023, 15.10.2023	12.11.2023, 13.11.2023, 27.11.2023
3.	श्रीमती प्रितांजली सिंह, जे.एम.एफ.सी. बैढन	29.10.2023	10.11.2023, 11.11.2023, 26.11.2023
4.	सुश्री आयुषी उपाध्याय, जे.एम.एफ.सी. बैढन	01.10.2023, 02.10.2023	14.11.2023, 15.11.2023 18.11.2023, 19.11.2023

तहसील देवसर, जिला सिंगरौली -

क्र 0	न्यायिक अधिकारी	माह अक्टूबर 2023	माह नवंबर 2023
		रिमाण्ड दिनांक	रिमाण्ड दिनांक
1.	श्रीमती आयुषी अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	22.10.2023, 23.10.2023, 24.10.2023	26.11.2023, 27.11.2023
2.	श्री देवांश अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. देवसर	01.10.2023, 02.10.2023, 15.10.2023, 21.10.2023	05.11.2023
3.	श्रीमती अदिती तिवारी, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	08.10.2023	13.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023 18.11.2023
4.	श्री अंकुर तिवारी, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	29.10.2023	10.11.2023, 11.11.2023, 12.11.2023, 19.11.2023

नोट:-

1. यदि पुलिस रिमाण्ड दिया जाता है तो पुलिस रिमाण्ड की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से भेजी जावे।
2. रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट रिमाण्ड के समय धारा 157 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पेश होने वाली एफ.आई.आर. की प्रति, 60/90 दिवस की निर्धारित अवधि के अभियोग पत्र भी प्राप्त करेंगे एवं धारा 164 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत कथन भी लेखबद्ध करेंगे।
3. उपरोक्त रिमाण्ड कार्य संपादित करने हेतु न्यायिक दण्डाधिकारी आपसी सहमति से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचित करते हुए आपस में रिमाण्ड ड्यूटी बदल सकते हैं।
4. किशोर न्यायबोर्ड से संबंधित प्रकरणों में रिमाण्ड कार्य/प्रतिप्रेषण प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड करेंगे। उनके अवकाश या स्थानांतरण होने की दशा में किशोर न्यायबोर्ड के सदस्य रिमाण्ड/प्रतिप्रेषण कार्य संपादित करेंगे। प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में अवकाश पर जाने की सूचना बोर्ड के सदस्य को आवश्यक रूप से देंगे, दोनों के अनुपस्थिति में उस दिन रिमाण्ड ड्यूटी कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय बैढन, सिंगरौली द्वारा किया जावेगा।

5. यदि किसी कारणवश माह अक्टूबर-नवंबर 2023 में नियत अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो माह अक्टूबर 2023 का सिंगरौली मुख्यालय का रिमाण्ड कार्य श्री नीरज पवैया, जे.एम.एफ.सी. बैदन जिला सिंगरौली म0प्र0 के द्वारा निष्पादित किया जाएगा एवं देवसर मुख्यालय में श्री देवांश अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0 के द्वारा निष्पादित किया जाएगा। माह नवंबर 2023 का सिंगरौली मुख्यालय का रिमाण्ड कार्य सुश्री आयुषी उपाध्याय, जे.एम.एफ.सी. बैदन जिला सिंगरौली म0प्र0 के द्वारा निष्पादित किया जाएगा एवं देवसर मुख्यालय में श्री अंकुर तिवारी, जे.एम.एफ.सी. देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0 के द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
6. श्री पुष्पेन्द्र भार्गव, (प्रशिक्षु न्यायाधीश), श्री नीरज पवैया, जे.एम.एफ.सी. के रिमांड के दिन रिमांड प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उनके साथ रिमांड के समय उपस्थित रहेंगे।
सुश्री सिमरन गुप्ता, (प्रशिक्षु न्यायाधीश), श्रीमती प्रितांजली सिंह, जे.एम.एफ.सी. के रिमांड के दिन रिमांड प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उनके साथ रिमांड के समय उपस्थित रहेंगे।
श्री हर्षवर्धन राठौर, (प्रशिक्षु न्यायाधीश), श्री अभिषेक कुमार, जे.एम.एफ.सी. के रिमांड के दिन रिमांड प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उनके साथ रिमांड के समय उपस्थित रहेंगे।

(के.पी. सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

पृ.क्र./¹¹³/₁₇/2023

सिंगरौली, दिनांक : 29.09.2023

प्रतिलिपि:-

- कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मुख्या० बैदन, जिला सिंगरौली (म०प्र०) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- निष्पादन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंगरौली।
- श्री नीरज पवैया, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय बैदन, जिला सिंगरौली म0प्र0।
- श्री अभिषेक कुमार, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय बैदन, जिला सिंगरौली म0प्र0।
- श्रीमती प्रितांजली सिंह, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय बैदन, जिला सिंगरौली म0प्र0।
- सुश्री आयुषी उपाध्याय, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय बैदन, जिला सिंगरौली म0प्र0।
- श्री आयुष कनेल, प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्यायबोर्ड, मुख्यालय बैदन, जिला सिंगरौली म0प्र0।
- श्रीमती आयुषी अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी., देवसर, जिला सिंगरौली।
- श्री देवांश अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी., देवसर, जिला सिंगरौली।
- श्रीमती अदिती तिवारी, जे.एम.एफ.सी., देवसर, जिला सिंगरौली।
- श्री अंकुर तिवारी, जे.एम.एफ.सी., देवसर, जिला सिंगरौली।
- श्री पुष्पेन्द्र भार्गव, (प्रशिक्षु न्यायाधीश), मुख्यालय बैदन, जिला सिंगरौली म0प्र0।
- सुश्री सिमरन गुप्ता, (प्रशिक्षु न्यायाधीश), मुख्यालय बैदन, जिला सिंगरौली म0प्र0।
- श्री हर्षवर्धन राठौर, (प्रशिक्षु न्यायाधीश), मुख्यालय बैदन, जिला सिंगरौली म0प्र0।
- पुलिस अधीक्षक सिंगरौली की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिंगरौली जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
- जिला नाजिर, जिला न्यायालय बैदन/देवसर जिला सिंगरौली को उपरोक्त तिथियों में संबंधित न्यायालय खुले रखने हेतु सूचनार्थ।
- सिस्टम एनालिस्ट, सर्वर रूम जिला न्यायालय बैदन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश को तत्काल जरिए मेल पृष्ठांकन अनुसार सूचित करे।
- अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैदन/देवसर की ओर सूचनार्थ।

(के.पी. सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला सिंगरौली (म०प्र०)